संख्या–727 /XIX/बजट/05–62/खाद्य/2005

प्रेषक,

एम0सी0उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सहायक नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग। देहरादून: दिनांक: 04 अप्रैल, 2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक संख्या–3475–के अन्तर्गत वचनबद्ध मद के लिए बजट आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–527A/XXVII(1)/2005, दिनांक 26 अप्रैल, 2005 तथा शासनादेश संख्या–582/XIX/बजट/05–62/खाद्य/2005, दिनांकः 07 अप्रैल, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक–07 अप्रैल, 2005 के द्वारा वर्ष 2005–06 में लेखानुदान के अन्तर्गत दिनांक–01 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2005 के लिए स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक–3475–के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संलग्नक में दिये गये वचनबद्ध तथा अन्य आवश्यक मानक मदों के विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन रूपये 88,55,000.00 मात्र (रूपये अट्ठासी लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि को आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है –

1– वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के क्रियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुयल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

3– यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसी मद पर व्यय नहीं किया जायेगा जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो, उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक माह बी0एम–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

.....2/–

5– समस्त चालू निर्माण कार्य, मशीनों, उपकरण एवं संयंत्र तथा वाहन आदि के क्रय तथा अवयन मदों पर धनराशि के व्यय हेतु शासन की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

6– यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

7– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–25 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें–106–भार और माप का विनियमन–00–आयोजनेत्तर–03–अधिष्ठान व्यय की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।

संख्या– 727 (1)/XIX/बजट/05–62/खाद्य/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, औबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
3– आयुक्त कुमायूँ/गढवाल मण्डल।
4– वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
6– वरिष्ठ सम्भागीय वित्त अधिकारी, खाद्य, गढ़वाल/कुमायूँ संभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
7– सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, गढवाल/कुमायूँ संभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
8– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल देहरादून।
9– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल।
10– समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तरांचल।
11– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
12– समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0उप्रेती)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या: 727 /XIX/05–62/बजट/2005, दिनांक: 04 ~~अप्रैल~~ मई, 2005 का संलग्नक।

अनुदान संख्या–25	(धनराशि हजार रू0 में) आयोजनेत्तर
लेखाशीर्षक 3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	
106–नाप और माप का विनियमन	
03–अधिष्ठान व्यय	
01–वेतन	4000
03–महँगाई भत्ता	1200
04–यात्रा व्यय	60
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	50
06–अन्य भत्ते	440
08–कार्यालय व्यय	50
09–विद्युत देय	50
10–जलकर/जल प्रभार	5
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	50
13–टेलीफोन पर व्यय	25
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	100
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	350
27–चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	400
42–अन्य व्यय	25
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	50
48–महगाई वेतन	2000
योग (रूपये अठ्ठासी लाख पचपन हजार मात्र)	8855

(एन0सी0प्रेती)
अपर सचिव।